

राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)



ई-मेल : rajbhasha@dhsgsu.edu.in

दूरभाष क्र. : (07582) 297118

क्रमांक: रा.भा.प्र./33/2026/ 5064

दिनांक 8/6/2026

परिपत्र/ Circular

विषय: राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 का अनुपालन।

Subject: Compliance of Rule 11 of the Official Languages Rules, 1976

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अंतर्गत कार्यालयों में रजिस्ट्रों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में तथा नामपट्ट (Name plate), सूचनापट्ट (Notice board), पत्रशीर्ष (Letter head), समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों का पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेखन सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी, मुद्रित या प्रकाशित होनी चाहिए।

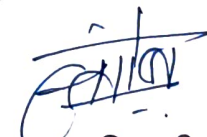
अतः समस्त अनुभाग/विभाग/कार्यालय प्रमुख से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय में राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। इस संबंध में सहयोग हेतु राजभाषा प्रकोष्ठ से संपर्क किया जा सकता है।

आदेशानुसार,


(कुलसचिव)

प्रतिलिपि:-

1. समस्त निदेशक, प्रशासनिक एवं अध्ययनशाला
2. समस्त विभागाध्यक्ष, केन्द्र प्रभारीगण
3. नियंत्रण अधिकारी, समस्त कार्यालय/अनुभाग/शाखा/प्रकोष्ठ
4. पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रभारी वित्ताधिकारी एवं प्रभारी परीक्षा नियंत्रक
5. समस्त शिक्षकगण/अधिकारीगण/कर्मचारीगण
6. प्रभारी, जनसंपर्क अधिकारी
7. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ- वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
8. कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
9. कुलसचिव के निजी सहायक- सादर सूचनार्थ।
10. गार्ड फाइल।


राजभाषा अधिकारी (प्र.)